

आरक्षण-एक वैकल्पिक प्रस्ताव

सतीश देशपांडे/योगेन्द्र यादव

यह वैकल्पिक प्रस्ताव इस मान्यता पर आधारित है कि हमें 'योग्यता' व 'सामाजिक न्याय' को एकात्मक एवं आपस में संबंध न रखने वाली श्रेणियां मानने की बजाय इससे आगे सोचना चाहिए। वास्तविकता में 'योग्यता' व 'सामाजिक न्याय' बहुआयामी संप्रत्यय हैं व एक के लिए दूसरे को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रस्ताव में ऐसे सर्वसामान्य आधार को ढूंढने का प्रयास किया गया है, जिसमें एक साथ योग्यता व सामाजिक न्याय दोनों के प्रति प्रतिबद्धता संभव हो सके। इस प्रस्ताव में ऐसी नीति के क्रियान्वयन की अपेक्षा की गई है जो नैतिक दृष्टि से उचित है, बौद्धिक दृष्टि से सही है तथा प्रशासनिक दृष्टि से संभव है।

इस प्रस्ताव की क्रियान्विति के पक्षों की विस्तार से चर्चा करने से पूर्व इस प्रस्ताव के पीछे जो आधारभूत सिद्धांत निहित हैं उनकी चर्चा करना उपयुक्त होगा। सबसे प्रथम यह प्रस्ताव प्रतिबद्ध है उन नीतियों के प्रति जो सामाजिक न्याय के सवैधानिक उत्तरदायित्व एवं 50 वर्षों के आरक्षण की कुल मिलाकर सफलता पर आधारित हैं। दूसरी बात हम यह मानते हैं कि यह नैतिक दृष्टि से आवश्यक है कि शैक्षिक अवसरों

को उपलब्ध कराने हेतु सकारात्मक कदम उठाए जाएं क्योंकि इन अवसरों की अनुपलब्धता पीढ़ी-दर-पीढ़ी असमानता को जन्म देती है व नौकरियों में आरक्षण के सकारात्मक प्रभाव को सीमित करती है। तीसरी बात जो ध्यान में रखने की है वह यह कि सकारात्मक पहल कई तरह से की जा सकती है जिनमें आरक्षण भी एक विकल्प है। राज्य की प्रतिबद्धता लक्ष्य के प्रति है न कि किसी एक साधन के प्रति। अंतिम सिद्धांत जो कि सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (SEBCS) के लिए आरक्षण के अनुभवों से उपजा है, यह है कि हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि शैक्षिक असमानता के कई कारण हो सकते हैं जिनमें से कुछ एक दूसरे को काटते हैं या एक दूसरे में सम्मिश्रित होते हैं। इन सभी कारणों का निराकरण आवश्यक है। हमारे प्रस्ताव में यही करने की कोशिश की गई है।

इस प्रस्ताव में 'शैक्षिक योग्यता' एवं 'सामाजिक प्रतिकूलता' (Social Disadvantage) के अंकों की अलग-अलग गणना की जाती है और फिर दोनों अंकों को जोड़कर उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का आधार बनाया जाता है। चूंकि 'शैक्षिक योग्यता' की गणना कम विवादास्पद हो सकती है अतः हम 'सामाजिक प्रतिकूलता' की गणना पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सामाजिक प्रतिकूलता अंकों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, सामूहिक एवं व्यक्तिगत। सामूहिक भाग के अंतर्गत हमें जाति, समुदाय, लिंग एवं क्षेत्र को ध्यान में रखना होगा। ये अंक मनमाने ढंग से तय नहीं किए जाने चाहिए या केवल अपने अनुमान के आधार पर भी तय नहीं होने चाहिए। इन्हें उच्च शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न जातियों/समुदायों एवं क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व संबंधी आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। महिला एवं पुरुषों से संबंधित आंकड़ों पर अलग-अलग विचार किया जाना चाहिए। इस संबंध में आवश्यक आंकड़े नेशनल सेंपल सर्वे से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह और

भी उत्तम होगा यदि इस काम के लिए विशेष नेशनल सेंपल सर्वे करवाई जाए।

सामूहिक प्रतिकूलता के अतिरिक्त व्यक्तिगत प्रतिकूलताओं को भी प्रस्ताव में ध्यान में रखा गया है। हालांकि व्यक्तिगत प्रतिकूलता के कई कारक हो सकते हैं (पारिवारिक पृष्ठभूमि, पीढ़ीगत साक्षरता की गहराई, भाई-बहनों की शैक्षिक योग्यता, वित्तीय संसाधन आदि) परन्तु दो बहुत ठोस कारक जो उभरकर सामने आते हैं व जिन्हें अंकों की गणना में व्यावहारिक दृष्टि से काम में लिया जा सकता है वे हैं पैतृक व्यवसाय व जिस विद्यालय से हाईस्कूल पास किया हो उसका प्रकार। इन दो चरों से हम अधिकांश व्यक्तिगत प्रतिकूलता का सफलतापूर्वक मापन कर सकते हैं। जिनमें परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि व आर्थिक स्थिति भी शामिल हैं।

इस लेख में दी गई सारणियों से यह बताने का प्रयास किया गया है कि इस योजना को व्यावहारिक रूप से कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है। यहां यह रेखांकित करना आवश्यक है कि हमने जो अंकभार निर्धारित किए हैं वे अंतिम नहीं हैं प्रायोगिक तौर पर तय किए गए हैं, और हमारे पास जो सीमित सूचनाएं उपलब्ध थीं उनके आधार पर तय किए गए हैं और केवल हमारी योजना को स्पष्ट करने हेतु काम में लिए गए हैं। अंक भारों का निर्धारण और अधिक सूचना उपलब्ध करवाकर उसके आधार पर किया जा सकता है। हमारा यह सुझाव है कि शैक्षिक योग्यता व सामाजिक प्रतिकूलता के अंकों को 80 : 20 के अनुपात में रखना चाहिए। शैक्षिक अंकों को 0 से 80 की मापनी पर मानक अंकों में परिवर्तित किया जा सकता है और सामाजिक प्रतिकूलता के अंकों का प्रसार 0-20 की परिधि में हो सकता है।

सामाजिक प्रतिकूलता का अंकन

सारिणी A में दर्शाया गया है कि सामूहिक प्रतिकूलता

के अंक कैसे दिए जाएं। सामूहिक प्रतिकूलता के तीन अक्षों (Axes) को यहां विचार में रखा गया है। ये अक्ष हैं जाति/समुदाय (यहां केवल गैर अनुसूचित जाति, जनजाति समूहों को लिया गया है।) लिंग व क्षेत्रों का वर्गीकरण (जोन-I,

जोन-II जोन III, जोन IV, अत्यंत विकसित क्षेत्र) ये जोन राज्य अनुसार या उप-राज्य स्तर पर पिछड़ेपन के सर्वमान्य सूचकांकों के आधार पर बनाए जा सकते हैं। अतः प्रतिकूलता अंक, प्रत्येक जाति समूह व लिंग के लिए, बाएं से दाहिनी

TABLE A

GROUP DISADVANTAGE : Caste-Community, Region and Gender up to 12 points to be awarded based on this matrix.					
Community/Zones		Zone I Most backward	ZoneII	ZoneIII	Zone IV Most Developed
'Lower' OBC/ MBC/Muslim OBC	Female	12	10	8	6
	Male	10	8	6	4
'Upper' OBC/ Non-OBC/Muslim	Female	10	8	6	4
	Male	8	6	4	2
All Others	Female	4	3	2	1
	Male	2	1	0	0

और कम होते जाते हैं।

यहां जिन जातियों/समुदायों को एक साथ रखा गया है उनका आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर लगभग एक जैसा है। (इसके लिए भी एकमत होना होगा) अन्य पिछड़ी जातियों में से नीचे की जातियां, अधिकांश पिछड़ी जातियां जिनमें मुस्लिम पिछड़ी

जातियां शामिल हैं, सबसे अधिक प्रतिकूलता प्रभावित हैं, या पट्टे-लिखे व सम्पन्नों में सबसे कम प्रतिनिधित्व रखने वाली जातियां हैं। जबकि हिंदुओं में उच्च जातियां, सिख, ईसाई, जैन पारसी आदि समूह सबसे आगे वाले समूह माने जाते हैं। अतः अंक भार ऊपर से नीचे की ओर कम होता जा रहा है।

इस मैट्रिक्स में लिंग शामिल है। महिलाओं को उनके अन्य लक्षणों के आधार पर प्रतिकूलता अंकों का प्रावधान किया गया है। अतः सारणी में दिए गए अंक तुलनात्मक रूप से प्रतिकूलता के स्तर को दर्शाते हैं। जिसका आधार तीनों कसौटियां हैं और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन कसौटियों की आपसी अन्योन्यक्रिया के प्रभाव को भी आधार बनाया गया है। इसलिए सबसे पिछड़े क्षेत्र की अन्य पिछड़ी जाति मुस्लिम पिछड़ी जाति की महिलाओं को सबसे अधिक 12 अंक प्राप्त हैं। जबकि सबसे विकसित क्षेत्र के अग्रगामी समुदाय के

पुरुषों को कोई प्रतिकूलता अंक प्राप्त नहीं है।

सारणी B व C में भी इसी प्रकार व्यक्तिगत प्रतिकूलता अंकों की गणना की गई है। इन सारणियों में सभी सामूहिक चरों को छोड़ दिया गया है। सारणी B में व्यक्ति ने किस प्रकार की स्कूल से सेकेन्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा जिस गांव शहर या कस्बे में यह स्कूल स्थित है उसका आकार विचाराधीन है। इस मैट्रिक्स में जिस व्यक्ति ने छोटे से गांव या कस्बे की राजकीय स्कूल से सेकेन्ड्री उत्तीर्ण की है उसे 5 अंक प्राप्त होंगे व जिसने बड़े शहर के अंग्रेजी माध्यम के अच्छे

TABLE B

INDIVIDUAL DISADVANTAGE : Type of Schooling			
Ordinary government school in village/small town gets maximum of 5 points.			
Exclusive English medium public school in metro gets zero points.			
	Village/Town Up to 50,000	City up to 3,00,000	Large City /Metro
Ordinary Government School	5	4	3
Private School (Non-English medium)	3	2	1
Private English medium School	2	1	0
Special Residential Govt. School (Navodaya/Sainik)	1	1	0
Exclusive/Residential 'public' School	0	0	0

पब्लिक स्कूल से सेकेंड्री पास की है उसे कोई अंक प्राप्त नहीं होंगे।

सारणी C में पैतृक व्यवसाय जिसे पारिवारिक संसाधनों का द्योतक माना है को विचारधीन रखा गया है क्योंकि इस घर में वस्तुनिष्ठ और सच्ची जानकारी प्राप्त करना कठिन है अतः इसे अधिकतम अंक भार 3 ही दिया गया है। जिन बच्चों के माता-पिता असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और

आयकर दाता नहीं हैं उन्हें अधिकतम अंक दिए जाएंगे। माता-पिता दोनों के व्यवसाय को ध्यान में रखा गया है। जिन बच्चों के माता-पिता में से कोई एक सरकार के प्रथम व द्वितीय श्रेणी की नौकरी में हैं या किसी मैनेजोरियल और पहले उन्हें कोई अंक देय नहीं है। बीच की नौकरी वाले (Class III व IV) माता-पिता के बच्चों को उन बच्चों से बेहतर स्थिति में माना गया है जिनके माता-पिता असंगठित क्षेत्र में

TABLE C

INDIVIDUAL DISADVANTAGE : Family Background			
Unorganised sector low-pay occupations awarded highest points, i.e. 3.			
Managerial/Professional and high level government jobs awarded zero points.			
Mother's occupation	Father's occupation		
	Managerial/professional big business/class I and II	Clerical/lower professional/ medium business/ class III and IV	All others (non Income Tax paying)
Managerial/professional/ big business/class I and II	0	0	0
Clerical/lowerprofessional/ medium business/ class III and IV	0	1	2
All others (non Income Tax paying)	0	2	3

कार्यरत हैं।

इन तीनों मैट्रिक्स से प्राप्त अंकों को जोड़ने से कुल प्रतिकूलता अंक प्राप्त हो सकते हैं। इन्हें शैक्षिक मानक अंकों में जोड़कर हर बच्चे के कुल प्राप्तांक प्राप्त किए जा सकते हैं। सभी गैर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों की बरीयता 77.5% सीटों के लिए इन कुल अंकों

के आधार पर निकाली जा सकती है।

अन्तर एवं लाभ

हालांकि हमारे प्रस्ताव में और केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रस्ताव में यह समानता है कि दोनों में सकारात्मक कार्यवाही के प्रति प्रतिबद्धता है तथा यह आकांक्षा

है कि इसे शैक्षिक अवसरों पर भी लागू किया जाए। परन्तु हमने जो योजना प्रस्तावित की है उसमें व मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना में कई मायनों में अंतर भी है। मंत्रालय के प्रस्ताव में आरक्षित सीटों का एक ब्लाक सृजित करने की अनुशंसा है जबकि हमारा प्रस्ताव सभी सीटों के लिए लागू होता है। (SC व ST के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर)। मंत्रालय के प्रस्ताव में केवल सामूहिक प्रतिकूलता को ही ध्यान में रखा गया है तथा इसमें भी शैक्षिक अवसरों में प्रतिकूलता का एकमेव आधार जाति को ही माना गया है। हमारे प्रस्ताव में भी सामूहिक प्रतिकूलता को प्रमुख माना गया है और इसके लिए जाति को एक सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है पर हमने इसे और गहराई से देखने हेतु अन्य चरों को भी विचारधीन रखा है जैसे लिंग व क्षेत्र। हमारी योजना में प्रतिकूलता के विभिन्न अक्षों के बीच अन्योन्यक्रिया को भी ध्यान में रखा गया है। (जैसे क्षेत्र, जाति व लिंग या विद्यालय का प्रकार एवं उसकी स्थिति)

हमने सामूहिक प्रतिकूलता के साथ-साथ व्यक्तिगत प्रतिकूलता को भी कुछ अंक भार दिया है जिसे पारिवारिक पृष्ठभूमि व विद्यालयी शिक्षा किस प्रकार के विद्यालय में हुई— शामिल है। हमारी योजना में यह मान्यता है कि उच्च जाति के बच्चों को भी कुछ व्यक्तिगत प्रतिकूलताओं का शिकार होना पड़ सकता है। अतः उन्हें भी इन प्रतिकूलताओं से निजात पाने की व्यवस्था की गई है। मंत्रालय के प्रस्ताव में दो ही विकल्प हैं या तो आप प्रतिकूलताओं से प्रभावित हैं या बिल्कुल नहीं। हमने प्रतिकूलताओं के विभिन्न स्तरों (Levels of Disadvantage) को ध्यान में रखा है।

हमारा प्रस्ताव उस योजना का परिवर्तित स्वरूप है जिसे

एक अंतर्राष्ट्रीय फ़ेलोशिप (उच्च शिक्षा हेतु) की चयन प्रक्रिया में कुछ वर्षों तक सफलतापूर्वक काम में लिया गया था। इस योजना के आधार पर हजारों आवेदनों का विश्लेषण किया गया था। इससे मिलती-जुलती योजना जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया में काम में ली जाती है। इस योजना की क्रियान्विति में कोई ऐसी कठिनाइयां नहीं आती जिन्हें दूर न किया जाए सके, चाहे बहुत बड़े पैमाने पर इसे लागू करना पड़े। हमारी योजना का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसमें सामाजिक न्याय को सकारात्मक एवं तार्किक दृष्टि से सोचा गया है। जाति आधारित कार्यवाही में जातिगत पहचान और सुदृढ़ होने की संभावना होती है। फलस्वरूप बहस कुठित हो जाती है, क्योंकि इसका आग्रह पहचान पर अधिक होता है बनिस्पत सामाजिक कारणों के जिनके कारण उन पहचानों को प्रतिकूलता के सूचक माना गया है। हमारी योजना में जातियों के प्रतिकूलता स्तर को मापनीय आधारों से जोड़ा गया है। इससे जाति को नगण्य बना, इन समुदायों ने कितनी प्रगति की है इस पर आग्रह अधिक है।

अतः मुस्लिम, ईसाई, सिख समूहों का स्थान उनके द्वारा प्राप्त शैक्षिक लाभों और प्रतिकूलताओं पर आधारित किया गया है। विभिन्न समूहों की स्थिति में परिवर्तनों को भी ध्यान में रखा गया है। इसमें गरीब उच्च जाति के लोग, क्रीमी लेयर जैसे तथ्यों को भी ध्यान में रखा गया है। संक्षेप में हमें यह बात ध्यान में आती है कि जाति या समुदाय का अपने आप में इतना महत्व नहीं है परन्तु इनका महत्व इसलिए है कि हमारे आज के अन्यायपूर्ण एवं असमानता वाले समाज में ये प्रतिकूलताओं के सूचक हैं।